न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:— रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 334/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88/53 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. पुरुषोतमलाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

......................वादीगण

बनाम्

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री जगननाथ जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. शीला देवी उर्फ शीलावती पत्नि जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
3. शंकुतला पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नुकेरा
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री कन्हैयालाल स्वामी वकील वादीगण

2— श्री सुरेन्द्र सूच— वकील प्रति सं. 1 ता 3

निर्णय   दिनांक :— 28.7.2023

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश प्रसाद के नाम से चक नं. 3 पीटीपी खाता संख्या 28/19 एकल खाता जगदीश प्रसाद में पं.नं.153/130 मु.नं. 19 किला नं. 1/1/0.228 बारानी, 1/2/0.025 गैर मु. रास्ता, किला नं. 10 ता 13 प्रत्येक 0.253 हैक्ट कुल 1.265 हैक्ट बारानी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा वादीगण की माता प्रतिवादीया संख्या 02 शीला देवी के नाम से चक नं. 3 पीटीपी के खाता संख्या 88/72 एकल खाता शीला देवी में पं.नं. 152/129 मु.नं.5 किला नं. 1/0.253 नहरी, 10/0.253 नहरी, पं.नं. 152/131 मु.नं. 23 किला नं.3, 4 प्र. 0.253 हैक्ट बारानी1, 15/1/0.228 हैक्ट बारानी1, 15/2/0.025 गैर मु. रास्ता, प.नं. 153/131 मु.नं.22 किला नं. 1, 2, 9, 1, 11, 12

28/7

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

19, 20 प्रत्येक 0.253 हैक्ट बारानी1 कुल 3.289 हैक्ट नहरी बारानी मय गैर मु. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा प्रतिवादी संख्या 02 शीला देवी के नाम से चक नं. 3 पीटीपी के खाता संख्या 87/22 में पं.नं.151/130 मु.नं.17 किला नं. 2/1/0.228 हैक्ट नहरी, 2/2/0.025 हैक्ट गैर मु. खाला, पं.नं.152/129 मु.नं. 5 किला नं. 19, 20 प्रत्येक 0.253 हैक्ट नहरी, 24/2/0.89 हैक्ट नहरी कुल 0.848 हैक्ट नहरी मय गैर मु. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण के माता पिता काफी वृद्ध हो चुके है इस कारण वादीगण के माता पिता अपनी उक्त कृषि भूमि बाबत राजस्व रिकॉर्ड में उपस्थित आकर राजस्व सम्बन्धि मामला व अन्य देनदारीयां निभाने में असमर्थ है तथा वास्ते बीज, खाद व अन्य खर्चों के लिये बैंक आदि में उपस्थित होकर ऋण प्राप्त करने या बैंकों में ऋण जमा करवाने में असमर्थ है। इस कारण वादीगण के माता पिता प्रतिवादीगण ने अपनी कृषि भूमि का बंटवारा कर वादीगण को सुपुर्द कर दिया है। वादीगण के पिता अध्यापक पद से सेवा निवृत होने के बाद पेंशन प्राप्तकर्ता है। उक्त कृषि भूमि विरासतन होने के कारण वादीगण का जन्मजात हिस्सा भी बनता है परन्तु वादीगण द्वारा अपने माता पिता की अच्छी देखभाल व सेवा करने से खुश होकर अपनी समस्त कृषि भूमि का वादीगण के हक में बंटवारा कर कब्जा काश्त वादीगण को सुपुर्द कर दिया है। बंटवारा में वादीगण को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

वादी संख्या 01 वेदप्रकाश की कृषि भूमि का विवरण :–

चक नं.	जमाबन्दी	खाता संख्या	पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
पीटीपी	2071–2074	87/22	151/130	17	2/1/0.228 हैक्ट, 2/2/0.025गैर.मु. खाला

चक नं.	जमाबन्दी	खाता संख्या	पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
3 पीटीपी	2071–2074	88/72	152/129	5	1/0.253 हैक्ट नहरी, 10/0.171हैक्ट नहरी
			153/131	22	1व2/0.506है.बारानी1 9 ता 12 /1.012 हैक्ट प्रत्येक बारानी1, 19, 20/0.506 है प्रत्येक बारानी1

वादी संख्या 02 पुरूषोतमलाल की कृषि भूमि का विवरण :–

चक नं.	जमाबन्दी	खाता संख्या	पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
3 पीटीपी	2071–2074	87/22	152/129	5	19, 20/0.506 हैक्ट, 24/2/0.089
3 पीटीपी	2071–2074	88/72	152/129	5	10/0.082 हैक्ट
3 पीटीपी	2071–2074	88/72	152/131	23	3, 4/0.506 है बारानी1, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गैर मु. रास्ता बारानी1
3 पीटीपी	2071–2074	28/19	153/130	19	1/1/0.228 हैक्ट, 1/2/0.025 गैर मु.

रास्ता 10 ता 13 /1.012 हैक्ट वादीगण को प्रतिवादीगण माता पिता ने वाद पत्र की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दफा 3 में वर्णित कृषि भूम का बंटवारा कर कब्जा काश्त अलग अलग सुपुर्द कर दिया है। प्रतिवादीगण अपनी उक्त कृषि भूमि की सार सम्भाल करने व राजस्व विभाग व बैंक आदि में जाने के लिये सक्षम नहीं है इस कारण प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त विरासतन कृषि भूमि का बंटवारा कर वादीगण को उक्त कृषि भूमि का मालिक बना दिया है। प्रतिवादीया संख्या 03 शकुन्तला पुत्री जगदीश प्रसाद अपने माता पिता की उक्त दर्ज कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। प्रतिवादीया संख्या 03 शकुन्तला ने अपने हक व हिस्सा का वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. से हक परित्याग कर दिया है। वादीगण को अपने माता पिता से बंटवारा में प्राप्त उक्त कृषि भूमि प्राप्त होने के पश्चात् वादीगण ने अपने माता पिता प्रतिवादीगण से कई दफा अनुनयविनय कर वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार मान लेने व राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमल दरामद करवा देवें लेकिन प्रतिवादीगण पहले टालमटौल करते रहे एवं बाद में ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ अपनी आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी वेदप्रकाश ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादी एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 3 पीटीपी खाता संख्या 87/22.88/72. 28/19 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने हाजिर आकर सहमति का जवाब दावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादी एवं प्रतिवादी ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंडलिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज चक नं. 3 पीटीपी खाता सं. 87/22,88/72, 28/19 में दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर निम्नानुसार ही खाता अलग कायम करने के आदेश दिये जाते हैः–

वादी संख्या 01 वेदप्रकाश की कृषि भूमि का विवरण :–

चक नं.	जमाबन्दी	खाता संख्या	पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
3 पीटीपी	2071–2074	87/22	151/130	17	2/1/0.228 हैक्ट, 2/2/0.025गैर.मु. खाला

चक नं.	जमाबन्दी	खाता संख्या	पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
3 पीटीपी	2071–2074	88/72	152/129	5	1/0.253 हैक्ट नहरी, 10/0.171हैक्ट नहरी
			153/131	22	1व2/0.506है.बारानी1 9 ता 12 /1.012 हैक्ट प्रत्येक बारानी1, 19, 20/0.506 है प्रत्येक बारानी1

वादी संख्या 02 पुरूषोतमलाल की कृषि भूमि का विवरण :–

चक नं.	जमाबन्दी	खाता संख्या	पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
3 पीटीपी	2071–2074	87/22	152/129	5	19, 20/0.506 हैक्ट, 24/2/0.089
3 पीटीपी	2071–2074	88/72	152/129	5	10/0.082 हैक्ट
3 पीटीपी	2071–2074	88/72	152/131	23	3, 4/0.506 है बारानी1, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गैर मु. रास्ता बारानी1
3 पीटीपी	2071–2074	28/19	153/130	19	1/1/0.228 हैक्ट, 1/2/0.025 गैर मु. रास्ता 10 ता 13 /1.012 हैक्ट

निर्णय आज दिनांक 28/7/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/7

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 228 / 2023

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. पुरूषोतमलाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

..............................वादीगण

बनाम्

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री जगननाथ जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. शीला देवी उर्फ शीलावती पत्नि जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
3. शकुंतला पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नुकेरा
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कन्हेयालाल स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री सुरेन्द्र सूच वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज चक नं. 3 पीटीपी खाता सं. 87 / 22,88 / 72, 28 / 19 में दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर निम्नानुसार ही खाता अलग कायम करने के आदेश दिये जाते हैः–

वादी संख्या 01 वेदप्रकाश की कृषि भूमि का विवरण :–

चक नं.	जमाबन्दी	खाता संख्या	पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
3 पीटीपी	2071–2074	87 / 22	151 / 130	17	2 / 1 / 0.228 हैक्ट, 2 / 2 / 0.025गैर.मु. खाला

चक नं.	जमाबन्दी	खाता संख्या	पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
3 पीटीपी	2071–2074	88 / 72	152 / 129	5	1 / 0.253 हैक्ट नहरी, 10 / 0.171हैक्ट नहरी
			153 / 131	22	1व2 / 0.506है.बारानी1 9 ता 12 / 1.012 हैक्ट प्रत्येक बारानी1, 19, 20 / 0.506 है प्रत्येक बारानी1

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी संख्या 02 पुरूषोतमलाल की कृषि भूमि का विवरण :–

चक नं.	जमाबन्दी	खाता संख्या	पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
3 पीटीपी	2071–2074	87/22	152/129	5	19, 20/0.506 हैक्ट. 24/2/0.089
3 पीटीपी	2071–2074	88/72	152/129	5	10/0.082 हैक्ट
3 पीटीपी	2071–2074	88/72	152/131	23	3, 4/0.506 है बारानी1, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गैर मु. रास्ता बारानी1
3 पीटीपी	2071–2074	28/19	153/130	19	1/1/0.228 हैक्ट, 1/2/0.025 गैर मु. रास्ता 10 ता 13 /1.012 हैक्ट

नोट :– उक्त आराजी ऋण मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X....

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.07.2023 को जारी किया गया।

28/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official